

Reply / No. 339

TO BE ISSUED IN HINDI

RTI Matter

SPEED POST

No. II/20034/20/2014-IS-II(pt.)

Government of India
Ministry of Home Affairs
IS-I Division ((IS-II Desk)

North Block, New Delhi
Dated: the 24 April, 2014

To

Shri Manoj Nagvansi,
Baudh Vihar-1,
Dinagarhi Hapur Road,
Ghaziabad-Uttar Pradesh.

Subject: Information under Right to Information Act, 2005-reg.

Sir,

Please refer to your letter No.211-Gzb/2014 dated 12.03.2014 received in this Division on 21.04.2014 on the subject mentioned above and to furnish the following information in respect of para (1), (2) and (3) as under:-


(i) & (ii) If the content of a book ^{are} such as to attract punishment under Section 124-A or Section 153-A or Section 153-B or Section 292 or Section 293 or Section 295-A of the IPC, the States/UTs examines and take action under Section 95 Cr. P.C. against the author, printer, publisher, possessor etc. You may, therefore, kindly take up the matter with the State Governments/UTs concerned in this matter.

(iii) The desired information is not covered under the definition of Information as per RTI Act., 2005.

3. In case you are not satisfied with the above reply, as per Section 19(1) of Right to Information Act, 2005 you may file an appeal within 30 days from the issue of this letter to the first Appellate Authority whose particulars are given below:

Shri Rakesh Singh, Joint Secretary (IS-I),
Ministry of Home Affairs, Room No.197 B,
North Block, New Delhi.



4. Hindi version will follow.


(Rakesh Mittal)
Director (IS-I) & CPIO

O/C

Copy to for information to:

1. Prime Minister Office, (Syad Ikram Rizvi, Dy. Secretary & CPIO), South Block, New Delhi w.r.t. O.M. No. RTI/1657/2014-PMR dated 19.03.2014.
2. Shri S. Samanta, US(RTI), MHA, North Block w.r.t. O.M. No.A-43020/01/2014-RTI dated 02.04.2014.



नई दिल्ली, दिनांक : 16/4/2014

कार्यालय, भारत

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री मनीषा नाहावंशी का आवेदन।

अधिकाधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगने वाले के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री मनीषा नाहावंशी के दिनांक 12/3/2014 के आवेदन (इस आवेदन में पुष्पान मन्त्री कार्यालय से अंतरिम रूप दिनांक 24/3/2014 के प्रश्न) को आर. एस. टी प्रकार को अद्यपित करने का निर्देश हुआ है, क्योंकि नाहावंशी सूचना प्राप्त प्रकार के कियकलमों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विपक्ष-वस्तु का संबंध किसी अन्य केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अद्यपित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक...../...../2014 के तारीख से.....के तहत जमा कर दिया है (~~संग्रह~~ नहीं किया है क्योंकि वह दी पी. एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

संलग्नक : यथोपरि

ड. शांत
(एस. सचिव)
अवर सचिव, भारत सरकार

उपरोक्त बात
नोट की
16/4/14
प्रति नोट
16/4/14
Noted

सेवा में
निदेशक (आर. एस. टी)
बृह मन्त्रालय
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

RTI-339/Dir (IS-1)/14
16/4/14

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :
श्री/श्रीमती/सुश्री मनीषा नाहावंशी
बृह विहार, -1, वीनागाव
शांतिबाग, उत्तर प्रदेश

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए ऊपरवर्णित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

C.255-18/RTI
2014

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

सारथी ब्लाक, नई दिल्ली - 110 011

संख्या: आनटीआई/1057/2014/प्रशा/आर

दिनांक: 10/04/2014

कार्यालय जापन

विषय - सूचना का अधिकार के संबंध आदेश-पत्र

उपरोक्त विषय पर श्री मनोज नागवंशी से प्राप्त दिनांक 12.3.2014 का आदेश-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 15.3.2014 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथावधि कार्रवाई हेतु अंतर्गत किया जा रहा है।

(श्री. विक्रम सिंघवी)

उप सचिव एवं

केंद्राध्यक्ष लोक सूचना अधिकारी

फोन : 2307 4672

Handwritten initials

JS/AT

Handwritten initials

JS/AT

Handwritten initials

JS/AT

So (RTI) 24/3

Handwritten signature

Handwritten initials

विदु संख्या 2 और 1 के संगत अंश के संबंध में

1. गृह सचिव, गृह मंत्रालय
सौर्य ब्लॉक, नई दिल्ली
2. सचिव, भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली

विदु संख्या 1 के संगत अंश के संबंध में

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री मनोज नागवंशी
बौद्ध विहार - 1
गेनागढ़ी हापुड़ रोड
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरणों से सम्पर्क करें। विदु संख्या 3 के संबंध में आपका अनुसंधान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(च) के अंतर्गत वे गई 'सूचना' की परिभाषा में नहीं आता है।

1850/2014/RTI
01/04/2014

657/14 - 18 MAR 14

संख्या

दिनांक

पृष्ठ

गोशाला एवं विभाग

(राज्य विद्यार्थी सचिवालय एवं राजकीय विद्यालय)

पता - राज विद्यार्थी सचिवालय, राजकीय विद्यालय, राजपुरा, जयपुर - 321001, 02212701407

दिनांक 15/03/2014

15 MAR 2014

श्रीमान जनसुचना अधिकारी महोदय
प्र. प्रधान मंत्री महोदय (कार्यालय)
भारत सरकार - नई दिल्ली

विद्यार्थी-सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र :-
वृत्तिका निम्न विषयों पर सुचना देने की कृपा करें।

- (1) यह कि हमारे भारत देश के स्वतंत्र होने व संविधान लागू होने के लगभग 65 वर्ष के पश्चात् भी देश में अनेको ऐसी पुस्तकों का चालन व प्रकाशन निरन्तर हो रहा है जोकि देश के दुस्तरे धर्म, जातियों, नारियों व सम्प्रदायों को अपमानित करने का कार्य करते हैं क्या सरकार द्वारा ऐसी पुस्तकों को जप्त करके व प्रकाशकों को दण्डित करने का कोई कानून है कृपया बताएं।
- (2) यह कि देश में अनेको तथाकथित साधु, महन्तों, वाधावाचकों द्वारा ऐसी पुस्तकों को ब्रान वर्धक व ईश्वर कृत वताकर समाज की श्रुतता व अखण्डता, भाई-चारे को तोड़ने का कार्य निरन्तर किया जाता रहता है देश में किस विभाग/संस्था को यह जिम्मेवारी सौंपी गई है कि इस तरह के कार्यों के विरुद्ध कार्यवाही व निगरानी करें, कृपया बताएं।
- (3) यह कि देश में इस प्रकार की घृणा फैलाने वाली पुस्तकों में मुख्य रूप से रामायण (रामचरितमानस), वेद, अगवतगीता, भगवद्गीता, उपनिषद्, सत्यार्थ प्रकाश आदि पुस्तकें हैं आपके सम्बन्धित विभाग का उपरोक्त पुस्तकों के विषय में क्या हरिकी जांच कृपया बताएं।

संकेतित
राज विद्यार्थी

अध्यक्ष
विद्यार्थी सचिवालय
(जयपुर)

UD
जयपुर

सहायक
जनसुचना अधिकारी

जयपुर

सचिव
राजकीय विद्यालय
(जयपुर)

सहायक
जीवू नारायण

RECEIVED
16/03/14
15/03/14
26/03/14

दिनांक 12/03/2014

विद्यार्थी सचिव
Kangjany

संख्या (संख्या)

(3) गद्योंक देक्ष में बस प्रकार की धृण फैलाने वाली पुस्तिका में मुख्य रूप से राजस्थान (राजकीय भाग), अंश, अक्षर गौरी, अनुसूचित, उपनिषद, सत्यार्थ प्रकाश, पुस्तिका है जिनके सम्बन्धित विभाग का उपरोक्त पुस्तिका के विषय में जमा हरिजोण है वृत्त वसंत

संख्या

15/03/14

28/03/14

13/03/2014

मनीष नाथवती
(अध्यक्ष)

10/- फॉरवर्ड ऑर्डर
सं-25F-266110

25F-266110
10/-

392 6748

(वृत्त राजकीय में हिन्दी भाषा का प्रयोग प्राथमिक है)